

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
04.04.2019	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, पूर्णिया</u></p> <p style="text-align: center;">सी०सी०ए० वाद संख्या-61/2019</p> <p style="text-align: center;">अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत</p> <p style="text-align: center;">राज्य</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p style="text-align: center;">अपराधकर्मी महानन्द यादव</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के 2070/सी०आर०, दिनांक 27.03.2019 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी महानन्द यादव, पिता-राजेन्द्र यादव, सा०-खुटहरी, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरुद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी महानन्द यादव, पिता-राजेन्द्र यादव, सा०-खुटहरी, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। इनका एक संगठित गिरोह है, जो रंगदारी एवं अन्य गम्भीर शीर्ष के काण्डों में आरोपित रहा है। जिसके आतंक से लोगों में दहसत का माहौल व्याप्त है। वर्तमान में ये अपराधकर्मी जमानत पर मुक्त हैं। अगर इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये आगामी लोकसभा चुनाव-2019 में मतदाताओं को भयभीत कर सकता है एवं उन्हें मतदान से वंचित करने का प्रयास भी कर सकता है, जिससे लोक शांति भंग हो सकती है।</p> <p style="text-align: center;">इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बनमनखी थाना कांड संख्या-54/2011 दिनांक 01.05.11, धारा-395 भा०द०वि 2. थाना दैनिकी सनहा संख्या-821/2019 दिनांक 25.03.19 	

इस वाद में विपक्षी को थानाध्यक्ष, बनमनखी के माध्यम से नोटिस का तामिला कराया गया। विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हें इस वाद में कुछ नहीं कहना है।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर महानन्द यादव, पिता-राजेन्द्र यादव, सा0-खुटहरी, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया को बनमनखी थाना क्षेत्र से तड़ीपार करते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने के छः माह पूर्ण होने तक प्रत्येक गुरुवार को थाना-सदर मुफ्फसिल में पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 दिन के बीच उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। शेष दिवस को स्थानीय थाना बनमनखी में उपस्थिति दर्ज कराएंगे।


विपक्षी यदि दिनांक 18.04.2019 को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मतदान की तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंचने का रूटचार्ट एवं मोबाईल नं0 थानाध्यक्ष, सदर मुफ्फसिल को उपलब्ध कराते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करेंगे तथा मतदान की तिथि को स्थानीय थाना बनमनखी में भी सूचना देंगे।

अतएव महानन्द यादव, पिता-राजेन्द्र यादव, सा0-खुटहरी, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, बनमनखी/सदर मुफ्फसिल को भेजें।

थानाध्यक्ष, बनमनखी/सदर मुफ्फसिल को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी महानन्द यादव, पिता-राजेन्द्र यादव,

सा0-खुटहरी, थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी/सदर तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

लेखापित्त एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।


जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

